न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 251 / 2015 दायरा दिनांक :—18.12.2015 निर्णय दिनांक :— 12.04.2021

1. अमरसिंह पुत्र हरिसिंह
2. गिन्दोडी पत्नी हरिसिंह
3. सरजीत पुत्र गणपत
4. सुनील
5. अनील पुत्रान राजकुमार
6. श्रवण पत्नी राजकुमार जरिये सरप्रस्त सुनील व अनील नाबालिग माता स्वयं श्रवण पत्नी राजकुमार
7. शिवलाल पुत्र लालाराम समस्त जाति मीणा निवासियान सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. रंगराव पुत्रान मोहनलाल
3. कृष्णा पुत्री उदयसिंह
4. नर्बदा पत्नी कल्याण सिंह
5. दीपक पुत्र देशबंधु
6. श्रवण पत्नी देशबंधु
7. तेजसिंह
8. शक्तिसिंह
9. अरविन्द
10. अजीत पुत्रान कल्याण सिंह
11. बीना पुत्री कल्याण सिंह
12. रतनसिंह पुत्र कुम्हेरसिंह
13. महेश
14. बलवन्त
15. राजेश पुत्रान हरिसिंह
16. अन्नू
17. सुन्नी पुत्रियान हरिसिंह
18. बिमला पत्नी हरिसिंह जातियान मीणा निवासियान सराय कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
19. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
20. श्रीमान मैनेजर साहब राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।
20. श्रीमान सब रजिस्ट्रार मुण्डावर जिला अलवर

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

946

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री गंगराम पटेल– वकील वादीगण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 12.04.2021

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर हाल 668/0.47, 669/0.48, 674/0.49, 675/0.48 है0 वाके ग्राम सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर मिन वादीगण का 2/3 भाग एवं प्रतिवादीगण 1ल0 18 का 1/3 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जो उक्तानुसार ही दर्ज थी व अपने–अपने कब्जे पर मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराकर संवत् 2053–56 की जमाबन्दी में मिनवादीगण को 1/3 भाग का और स्वयं को 2/3 भाग का खातेदार दर्ज करा लिया। जबकि प्रतिवादीगण का 2/3 भाग से कोई लेन–देना नही था ना कभी रहा। जिस से मिनवादीगण के अधिकारों पर कुठराघात होता है एवं अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का 2/3 भाग से नाम हबज करवाकर मिनवादीगण को 2/3 भाग का और प्रतिवादीगण को 1/3 भाग का खातेदार दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है आदि – आदि का निवेदन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत् तलवी प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 18, 20, 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं पैरोकार सरकार को बार–बार जवाब के अवसर उपरान्त जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2045 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2049 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2053 प्रदर्श–4 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र अमरसिंह पी.डब्ल्यू–1, धर्मपाल पी.डब्ल्यू –2, बुधराम पी.डब्ल्यू –3 पेश किये जो श[illegible]ली है।

वकीलवादीगण क्री बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible] को दोहराते हुए अपने वादपत्र की ताईद में प्रस्तुत दस्तावे[illegible] प्रदर्श –1 [illegible] के बाबत का निवेदन करते हुए अभिकथन किया कि वादीगण का [illegible] 2053 [illegible] 2/3 भाग हिस्सा आराजी रहा है तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार हिस्सा राजस्व रि[illegible] में गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे कानूनन दुरस्त कराकर प्रतिवादीगण के नाम से गलत दर्ज 2/3 भाग को हबज कराकर मिनवादीगण को 2/3 भाग का एवं प्रतिवादीगण को 1/3 भाग का खातेदार दर्ज किये जाने के बाबत का निवेदन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का अभिकथन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल आराजी ख0न0 हाल 668/0.47, 669/0.48, 674/0.49, 675/0.48 है0 वाके ग्राम सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ल0 18 के नाम हो रहे अंकन को वादीगण की हद तक हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादीगण को उपरोक्त आराजीयात् के 2/3 भाग का व प्रतिवादीगण 1 ल0 18 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार ही हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षाकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 251/2015 दायरा दिनांक :–18.12.2015 पर्चा डिक्री दिनांक :– 12.04.2021

1. अमरसिंह पुत्र हरिसिंह
1. गिन्दोडी पत्नी हरिसिंह
2. सरजीत पुत्र गणपत
3. सुनील
4. अनील पुत्रान राजकुमार
5. श्रवण पत्नी राजकुमार जरिये सरप्रस्त सुनील व अनील नाबालिग माता स्वयं श्रवण पत्नी राजकुमार
6. शिवलाल पुत्र लालाराम समस्त जाति मीणा निवासियान सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.........वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. रंगराव पुत्रान मोहनलाल
3. कृष्णा पुत्री उदयसिंह
4. नर्बदा पत्नी कल्याण सिंह
5. दीपक पुत्र देशबंधु
6. श्रवण पत्नी देशबंधु
7. तेजसिंह
8. शक्तिसिंह
9. अरविन्द
10. अजीत पुत्रान कल्याण सिंह
11. बीना पुत्री कल्याण सिंह
12. रतनसिंह पुत्र कुम्हेरसिंह
13. महेश
14. बलवन्त
15. राजेश पुत्रान हरिसिंह
16. अन्नू
17. सुन्नी पुत्रियान हरिसिंह
18. बिमला पत्नी हरिसिंह जातियान मीणा निवासियान सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
19. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
20. श्रीमान मैनेजर साहब राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।
21. श्रीमान सब रजिस्ट्रार मुण्डावर जिला अलवर

[illegible]

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0 [illegible] 89, 188

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री गंगाराम पटेल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक** 12.04.2021 को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादीगण के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित हाल आराजी ख0न0 हाल 668/0.47, 669/0.48, 674/0.49, 675/0.48 है0 वाके ग्राम सरायं कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ल0 18 के नाम हो रहे अंकन को वादीगण कीं हद तक हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादीगण को उपरोक्त आराजीयात् के 2/3 भाग का व प्रतिवादीगण 1 ल0 18 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार ही हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षाकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested